



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-।" उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>E-mail: eicpwd.uk@nic.in

पत्रांक-307 / 131 यातांग(माओड़हल्प लाईन)नियोजन-।/2020
सेवा में,

दिनांक-05.06.2020

समस्त अधीक्षण अभियन्ता (L2 अधिकारी)
सिविल / रामां / ए०डी०बी० / वि०य०० /
पी०ए०म०जी०ए०स०वाई० / विश्व बैंक वृत्त
लो०नि०वि०.....

समस्त अधिशासी अभियन्ता (L1 अधिकारी)
सिविल / रामां / ए०डी०बी० / वि०य०० /
विश्व बैंक खण्ड,
लो०नि०वि०.....

विषय- C.M Helpline के सम्बन्ध में मां मुख्यमंत्री जी कार्यालय द्वारा दिये गये विशेष निर्देशों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- इस कार्यालय के पत्रांक-188 / 131 यातांग(माओड़हल्प लाईन)नियोजन-।/2019 दिनांक-04.02.2020

सी०ए० हैल्पलाईन पर प्राप्त शिकायती प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रायः यह देखा जा रहा है कि एल० 2 अधिकारियों द्वारा एल० 1 अधिकारियों से प्राप्त आख्या को ही अग्रसारित किया जा रहा है तथा अपनी आख्या/मन्तव्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिस कारण पोर्टल पर प्राप्त शिकायती प्रकरणों का निस्तारण समयान्तरांता नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे प्रकरण हैं जो गुणवत्ता से सम्बन्धित हैं, ऐसे प्रकरणों पर एल० 2 अधिकारियों द्वारा स्थवर समीक्षा/निरीक्षण न करते हुए एल० 1 की आख्यानुसार ही आख्या अपलोड की जा रही है। इसी प्रकार एल० 1 अधिकारियों द्वारा अति आवश्यक जानकारी यथा पत्राचार, अनुबन्ध की Abstract copy, स्थल की फोटो अपलोड नहीं की जा रही है। जो प्रकरण लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है, उस सम्बन्ध में प्रकरण जिस विभाग से सम्बन्धित है उसकी जानकारी नहीं दी जा रही है, जिस कारण शिकायत लो०नि०वि० को सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किये जाने में अत्यधिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही हैं। साथ ही शिकायतकर्ता से भी एल० 1 तथा एल० 2 अधिकारी के स्तर पर अधिक समन्वय/वार्तालाप की आवश्यकता है।

पूर्व भी इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक-04.02.2020 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। विशेष कर सी०ए० हैल्प लाईन की गम्भीरता को समझाते हुए इस पत्र में वर्णित दिशा निर्देशों तथा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को समाहित करते हुए सी०ए० हैल्प लाईन की शिकायतों का निस्तारण करें। स्पेशल क्लॉज/फोर्स क्लॉज करते समय अपने मन्तव्य में उक्त पत्र के बिन्दु 07 की सुसंगत उप बिन्दु का रपष्ट उल्लेख करें।

सलामः- उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता स्तर-।। (मुख्यालय)
(इ० अयाज ३६२०२०)
पृष्ठ 02 पर.....


प्रतिलिपि— मुख्य अभियन्ता स्तर— ||(नियोजन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि�०वि० देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— समस्त मुख्य अभियन्ता लो०नि�०वि० उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित एल० 1 एवं एल० 2 अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
सलग्न—पत्रानुसार।

प्रतिलिपि—इ० पी०एस० बृजबाल वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर— || को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों का समाधान समायान्तर्गत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—इ० मनोज कुमार विष्ट अधिशासी अभियन्ता कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि�०वि० देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों का समाधान समायान्तर्गत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, आई०टी० सेल, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि�०वि०, देहरादून को उक्त की प्रति विभागीय वेब—साईट (web site)पर अपलोड / ई—मेल किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता स्तर— ||(मुख्यालय)

03.6.2019
30.5.19



महत्वपूर्ण गोला द्वारा
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं दिमागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन- ।" उत्तराखण्ड देहरादून

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2510431

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand



Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-mail: eicpwd.uk@nic.in

पत्रांक- 188 / 131 यातां०(मा०मु०हेल्प लाईन)नियोजन- ।/ 2019
सेवा में

दिनांक- ०५. ०२. २०२०

समस्त अधीकारी अभियन्ता (L2 अधिकारी)
सिविल / रा०मा० / ए०डी०बी० / वि०य००/
पी०एम०जी०एस०वाई० / विश्व बैंक वृत्त
लो०नि�०वि०.....

समस्त अधिकारी अभियन्ता (L1 अधिकारी)
सिविल / रा०मा० / ए०डी०बी० / वि०य००/
विश्व बैंक वृत्त
लो०नि�०वि०.....

विषय:-

C.M. Helpline के सम्बन्ध में ना० मुख्यमंत्री जी कार्यालय द्वारा दिये गये विशेष निर्देशों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कम में अवगत करता है कि दिनांक- 28.01.2020 को रु००५०० हैल्पलाईन पर प्राप्त शिकायती प्रकरणों के त्वरित निरस्तारण के सम्बन्ध में ना० मुख्यमंत्री जी कार्यालय द्वारा समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक के दौरान ना० मुख्यमंत्री जी कार्यालय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं, जिनका अनुपालन ना० सी०एम० हैल्प लाईन का एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में समीक्षा बैठक की जानी प्रस्तावित है, जिसमें सभी एल० 1, एल० 2 एवं एल० 3 अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। इसलिए पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का अपने तर रा० सारांशयान्तर्गत निरस्तारण की कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

1. एल० 1 स्तर पर शिकायतों के निराकरण हेतु अवधि 7 से 15 दिन की जा रही है। सामान्यता अनुकूलता का निरस्तारण 7 दिन में ही करना होगा। लिए उन्हीं शिकायतों के निराकरण में दिवस 7 से 15 तक तक उपयोग किये जा सकते हैं, जिनके लिए वार्ताव में ज्यादा ५ दिन लगते हैं, यदि यह पाया जाय कि जानबूझकर 7 दिन में निरस्तारण नहीं किया गया है और 15 दिन निराकरण अवधि का दुरुपयोग किया गया है तो जांच में सत्यता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शासकीय कार्रवाही कर जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि शिकायत के प्रकरण एवं उसकी गम्भीरता को देखते हुए यथाशीघ्र शिकायतों का निराकरण करें, तथा शिकायत निराकरण की आख्या सी०एम० पोर्टल पर आशिक रूप से बंद का बटन दबाकर अपलोड करें। निराकरण से पहले एवं बाद के फोटो आदि भी साझा के तौर पर यथा समाव रिपोर्ट में संलग्न/अपलोड करें।
2. सभी एल० 1 अधिकारी शिकायत का निरस्तारण करने से पूर्व शिकायकर्ता से बात कर शिकायत के बारे में अच्छी तरह से जांच कर ले और शिकायत के समाधान के समय यदि सम्भव हो तो शिकायतकर्ता को गी कार्यस्थल पर बुला ले। शिकायत के निराकरण के बाद भी शिकायतकर्ता को दूरमाय से राग्कर कर अवगत करा दे कि शिकायत का निरस्तारण कर दिया गया है और सी०एम० हैल्पलाईन के कॉल नंबर

द्वारा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए कॉल जी जाएगी। यदि शिकायतकर्ता सन्तुष्ट हो तो कृपया शिकायत के फीड बैक (Feed Back) की कॉल के दौरान शिकायतकर्ता की संतुष्टि दर्ज कराये।

3. यदि कोई शिकायत जैसे ही एल0 2 अधिकारी स्तर पर पहुंची है तो वे शिकायतकर्ता से अनियाय ७५ रो दूरभाष पर सम्पर्क करके शिकायत की स्थिति को जाने और असन्तुष्टि का कारण पता कर उसका निराकरण करने का प्रयास करें। शिकायत का निराकरण होते ही शीघ्रातिशीघ्र शिकायत के नियतारण की आख्या सी0एम0 हेल्पलाइन पर अपलोड कर अधिक रूप से बंद करने का बटन दबायें।
4. यदि किसी शिकायत का प्रारूप मांग प्रतीत होता है तो उत्त शिकायत के मांग पर की गयी कार्यवाही को अपलोड करें, एवं स्पेशल ब्लॉज (special close) विकल्प का उपयोग करें। एल0 1 अधिकारी स्पेशल ब्लॉज के लिए प्रस्तावित कर दे। उदाहरण में लिए जैसे नया पुल बनाने की मांग, नई सड़क नीं मांग, सुपृष्ठीकरण/डामरीकरण, लेपित सड़क के नवीनीकरण की मांग पर स्पेशल ब्लॉज के अन्तर्गत मांग/(Demand) विकल्प का उपयोग करें।
5. स्पेशल ब्लॉज करने का अधिकार केवल एल0 2 अधिकारी एवं एल0 3 अधिकारी एवं एल0 4 अधिकारी को ही है। एल0 1 सिर्फ स्पेशल ब्लॉज के लिए ही प्रस्तावित कर सकते हैं।
6. स्पेशल ब्लॉज करते समय सभी एल0 2 अधिकारी एवं एल0 3 अधिकारी अपनी आख्या अपलोड करके ही स्पेशल ब्लॉज कर सकते हैं।
7. स्पेशल ब्लॉज में निम्न शिकायतों को बन्ध किया जा सकता है:-

1. शिकायतकर्ता अपात्र है/नीतिगत रूप से लाभ नहीं दिया जा सकता है।
 2. शासन के आदेश/परिपत्र के अनुक्रम में निराकरण सम्मय नहीं है।
 3. प्रकरण सूचना के अधिकार एकट के अन्तर्गत है।
 4. सम्बन्धित प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रचलित/छिचाराधीन है।
 5. प्रकरण बजट हेतु लंबित है।
 6. शिकायत राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।
 7. शिकायत कार्मिकों की सेवा से सम्बन्धित है।
 8. कार्यवाही दीर्घ कालीन होने के कारण प्रक्रियागत है।
 9. प्रकरण में विभागीय स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
8. स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-142/xxx-6/2019-01 (08) / 18 दिनांक-26.11.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश की प्रति संलग्न है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों/आदेशों का अनुपालन करना।
 - सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

*AB
12/10/2020*
(हरिओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्याय
नंबर 03 पर...

प्रतिलिपि— गाँ० मुख्यमंत्री जी कार्यालय को तापर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— मुख्य अभियन्ता स्तर—(नियोजन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०निं०वि० देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— समस्त मुख्य अभियन्ता लो०निं०वि० उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित एल० 1 एवं एल० 2 अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
संलग्न—पञ्चानुसार।

प्रतिलिपि—इ० पी०एस० बृजबाल वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर—।। को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों का समाधान समायान्तर्गत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—इ० के०एस० असाल अधिशासी अभियन्ता कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०निं०वि० देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों का समाधान समायान्तर्गत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, आई०टी० सेल, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०निं०वि०, देहरादून को उक्त की प्रति विभागीय वेब-साईट (web site) पर अपलोड /ई-मेल किये जाने हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
०३.०२.२०२०

राधा रत्नौड़ी
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सोबा में

- 1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/उत्तराखण्ड शासन।
- 2 आयुक्त कुगाथूं एवं गढ़वाल मंडल, उत्तराखण्ड।
- 3 समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 4 समस्त जिला अधिकारी।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-6

देहरादून: दिनांक १० नवम्बर, 2019

विषय:-CM HELPLINE के सभी L1, L2, L3, L4 अधिकारीयों के स्थानान्तरण के समय लॉग
इन आईडी अपडेट करने के संबंध में।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा जन संवाद स्थापित करने एवं जन समस्याओं के स्वरित निलंबन के लिए CM HELPLINE का 23 प्रवर्षी, 2019 को उद्घाटन किया गया था। CM HELPLINE में अधिकारीयों को चार वर्गों L1, L2, L3, L4 में वर्गीकृत किया गया है और प्रदेश में सभी L1, L2, L3, L4 स्तर के अधिकारीयों को CM HELPLINE के संचालन के लिये लॉग दृग दिया जा चुका है। और सभी अधिकारीयों को CM HELPLINE का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारी स्थानान्तरण होने पर सीएम हेल्पलाइन में अपनी लॉग इन प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर रहे हैं, इस बजह से उनके स्थानान्तरण के बाद भी शिकायतों की रिपोर्ट में उनका नाम आ रहा है।

3. अतः उपरोक्त विषय पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश में CM HELPLINE के सभी L1, L2, L3, L4 अधिकारीयों की निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण प्रक्रिया में स्थानान्तरण होने वाले अधिकारी के द्वारा उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी के साथ CM HELPLINE में अपनी नाम इन प्रोफाइल को भी ट्रान्सफर करना और नाम, पद, फोन और ईमेल, आधार नंबर, कर्मचारी संख्या अपडेट करना सुनिश्चित किया जाय। उक्त अधिकारीयों की स्थानान्तरण प्रक्रिया तभी पूरी नहीं जायेगी जब CM HELPLINE में अपनी लॉग इन प्रोफाइल को भी ट्रान्सफर और अपडेट कर दिया गया हो।

अतः इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भक्तीय
(राधा रत्नौड़ी)
अपर मुख्य सचिव।